بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

Office of The Sadr Majlis Ansarullah Bharat

دفتر صدر مجلس انصار اللہ بھارت

Ph. +91-01872-220186, Fax, +91-01872-224186, Mob, +91-9815494687, E-Mail: ansarullahbharat@gmail.com

सारांश खुत्बः जुम्अः सैय्यदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मसीहिल अलख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ दिनांक**08.09.2017** मस्जिद बैतुल फ़तूह,मॉर्डन लंदन

मजलिस-ए-शूरा जब कोई भी योजना बनाती है तथा फिर एक निश्चय लिया जाता है और फिर उसके अनुसार क्रियान्वन हेतु कार्य-पद्धति निश्चित होकर ख़लीफ़-ए-वक़्त के पास स्वीकृति के लिए भिजवाया जाता है और जब मंज़ूरी हो जाती है तो उस पर अपनी सम्पूर्ण प्रतिभाओं एंव शक्तियों के साथ अमल कराना और करना मजलिस-ए-शूरा के सदस्यों का भी कर्त्तव्य है तथा प्रत्येक स्तर के जमाअती ओहदेदारों का भी दायित्व है

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत के पश्चात हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया- اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَالۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَجَادِلۡہُمۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّکَ ہُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِہٖ وَہُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُہۡتَدِیۡنَ﴿۱۲۶﴾

इस आयत का अनुवाद इस प्रकार है कि अपने रब्ब के रास्ते की ओर हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ दावत दे और उनसे ऐसी युक्ति के साथ वाद विवाद कर जो अत्यंत सभ्य हो, निःसन्देह तेरा रब्ब ही उसे जो तेरे रास्ते से भटक गया है सबसे अधिक जानता है तथा वह हिदायत पाने वालों का भी सर्वाधिक ज्ञान रखता है।

विश्व के कई देशों की जमाअतों ने अपनी मजलिस-ए-शूरा में इस विचार को रखा तथा इस पर बड़ी अच्छी बहस की तथा अपनी कार्य-पद्धति को भी सुनिश्चित किया कि किस प्रकार हम इस्लाम का वास्तविक सन्देश अपने देश के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के काम को विस्तृत कर सकते हैं अथवा इसे अच्छी बुनियादों पर क़ायम कर सकते हैं। हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- सदैव याद रखना चाहिए कि चाहे यह तबलीग़ के काम के लिए योजना है अथवा किसी अन्य कार्य की योजना बन्दी, मजलिस-ए-शूरा जब भी योजना बनाती है, शूरा के सदस्यों के विभिन्न विचार सामने आते हैं तथा फिर एक सोच बनती है और फिर इसके अनुसार काम करने के लिए एक कार्य-पद्धति निश्चित होकर ख़लीफ़-ए-वक़्त के पास स्वीकृति के लिए भिजवाया जाता है तथा जब अनुमति मिल जाती है तो उस पर अपनी सम्पूर्ण शक्तियों एवं प्रतिभाओं के साथ कार्य कराना और करना मजलिस शूरा के सदस्यों का भी दायित्व है तथा प्रत्येक स्तर के ओहदेदारों का भी दायित्व है, इसके अनुसार काम करने और कराने के लिए प्रत्येक मजलिस-ए-शूरा के सदस्य तथा प्रत्येक स्तर के ओहदेदार को अब भर पूर प्रयास करना चाहिए। केवल यह न समझें कि क्यूँकि यह योजना तबलीग़ से सम्बंधित है इस लिए केवल तबलीग़ के सैक्रेट्री ही का दायित्व है कि काम करे अथवा किसी भी अन्य विभाग से सम्बंधित यदि कोई योजना है तो सम्बंधित सैक्रेट्री ही ज़िम्मेदार है। निश्चय ही इसके अनुपालन के लिए सैक्रेट्री ही उत्तरदायी हैं परन्तु विशेष रूप से तबलीग़ और तर्बियत के विभाग ऐसे हैं कि इसमें जमाअत के ओहदेदारों का, प्रत्येक स्तर के ओहदेदारों का शामिल होना तथा अपना नमूना दिखाना अनिवार्य है। इस समय मैं क्यूँकि तबलीग़ के हवाले से बात करना चाहता हूँ इस लिए इस हवाले से मैं प्रत्येक ओहदेदार को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वह अपने तबलीग़ के सैक्रेट्रियों से इस योजना पर अमल कराने के लिए अपना सम्पूर्ण सहयोग दें, स्वयं इसका अंश बनकर जमाअत के लोगों के लिए नमूना पेश करें। कोई भी ओहदेदार हो किसी न किसी रंग में तबलीग़ में भागीदार बन सकता है और यदि ओहदेदार भाग ले रहे हों तो जमाअत के लोगों के सामने नमूने स्थापित हो रहे होंगे और बहुत से अहमदी ऐसे होंगे जो बिना कहे, बिना विशेष ध्यान दिलाए स्वयं ही इन नमूनों को देखकर इस कार्य प्रणाली को पूरा करने के लिए इस्लाम के वास्तविक पैग़ाम को पहुंचाने के प्रयास में शामिल हो जाएँगे। कुछ सैक्रेट्रियों के पास वैसे भी अपने विभाग का इतना काम नहीं होता, वे अधिक समय भी

दे सकते हैं, केवल नीयत और निश्चय की आवश्यकता है। अतः नैशनल सैक्रेट्री तबलीग़ का काम है कि जो कार्य प्रणाली भी बनाई गई है वह प्रत्येक स्थानीय जमाअत के सैक्रेट्री तबलीग़ तक पहुंचाना चाहिए तथा फिर इस बात को विश्वस्त करें कि जमाअत के प्रत्येक सदस्य तक कार्य पद्धति का वह भाग जो प्रबन्धकीय नहीं है बल्कि लोगों से सम्बंधित है, उन तक पहुंच जाए। परन्तु सबसे बढ़कर यह कि जो आयत मैंने तिलावत की है उसमें अल्लाह ने जो हमारा मार्ग दर्शन किया है उसे समझें तथा उसके अनुसार प्रत्येक तबलीग़ का सैक्रेट्री तबलीग़ करे, प्रत्येक ओहदेदार अमल करे, विशेष दाओ अमल करें। अल्लाह तआला ने जिस बात की ओर ध्यान दिलाया है उसमें सर्व प्रथम हिकमत है फिर मोइज़ातुल हस्नः है अर्थात अच्छी नसीहत। फिर फ़रमाया कि वार्ता में ऐसा प्रमाण उपयोग करो तो बेहतरीन हो। आजकल के तथाकथित उलमा ने तथा आतंकी गुटों एवं संगठनों ने अपने जनूनीपन और बुद्धि एंव विवेक हीनता तथा प्रमाण हीन बातों से इस्लाम को इतना बदनाम कर दिया है कि ग़ैर मुस्लिम दुनिया समझती है कि इस्लाम विवेक हीन तथा प्रमाण हीन धर्म है तथा बुद्धि हीनों और मूर्खों का धर्म है, नऊज़ु बिल्लाह तथा केवल कट्टर वाद ही इसकी शिक्षा है। ऐसे हालात में अल्लाह तआला के इस आदेश के अनुसार तबलीग़ करनी तथा तबलीग़ के लिए सम्पर्क बनाना प्रत्येक अहमदी की एक महत्त्व पूर्ण ज़िम्मेदारी है।

अतः ऐसी प्रस्थितियों में हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितने परिश्रम के साथ हमें अल्लाह तआला के बताए हुए तरीक़े के अनुसार तबलीग़ करनी चाहिए। अल्लाह तआला ने सबसे पहले जो बात बयान फ़रमाई वह हिकमत के साथ तबलीग़ है। यह हिकमत क्या चीज़ है? हिकमत के बड़े विस्तृत अर्थ हैं तथा सफल तबलीग़ के लिए आवश्यक है कि इन अर्थों का हमें ज्ञान हो, ताकि हम तबलीग़ में इन बातों का ध्यान रखें। हिकमत का एक अर्थ ज्ञान है, तबलीग़ के लिए ज्ञान भी होना चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं कि हमारे पास ज्ञान नहीं है इस लिए हम तबलीग़ नहीं कर सकते। इस ज़माने में यह बहाना कोई बहाना नहीं है, हमें ज्ञान के क्षेत्र में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसे प्रमाणों से लैस कर दिया है तथा जमाअत के लिट्रेचर में इस ज्ञान को लिख दिया गया है कि छोटा सा प्रयास भी पर्याप्त सीमा तक ज्ञान में सुदृढ़ता प्रदान कर देता है। अतः एक तो पहले अपना ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है दूसरे यह पता होना चाहिए कि इस समय हमारे लिट्रेचर तथा वैब साईट में कहाँ यह विशेष उत्तर एंव प्रमाण उपलब्ध है। विभिन्न धर्मों से सम्बंधित लोगों से, ख़ुदा तआला का इंकार करने वालों से, उनकी सोच के अनुसार उनके विचारों के अनुसार, उनके प्रमाणों के अनुसार फिर हमें प्रमाण देने होंगे।

फिर हिकमत का अर्थ यह भी हैं कि ठोस और पक्की बात हो। ऐसा प्रमाण हो जो स्वयं मज़बूत हो, न कि इस प्रमाण को साबित करने के लिए हमें अन्य प्रमाण देने पड़ें, फिर इनको और अधिक प्रमाणित करना पड़े। इस प्रकार लम्बी वार्ताओं में पड़ने के बजाए अवलोकन करके, आपत्ति देखकर फिर उनको ठोस दलील से रोकने का प्रयास करना चाहिए और यह भी फिर तबलीग़ के विभाग का काम है कि अपनी प्रस्थितियों के अनुसार ऐसी आपत्तियाँ तथा उनके रद्द की दलीलें एक जगह एकत्र करके फिर जमाअतों को उपलब्ध करें ताकि अधिकाधिक लोगों को इलमी और ठोस और पक्के प्रमाण, आपत्तियों के रद्द में उपलब्ध हो सकें।

फिर हिकमत का एक अर्थ अद्ल (न्याय) भी है। ऐसी आपत्तियाँ नहीं करनी चाहिएँ जो उलट कर हम पर भी पड़ सकती हों। अल्लाह तआला की कृपा से अहमदिया जमाअत में साधारणतः ऐसी अवस्था नहीं होती परन्तु दूसरे सामान्य मुसलमान जो हैं अथवा दूसरे धर्मों के लोग जो हैं उनमें यह बात नज़र आ जाती है। मुसलमान जो हमारे विरोधी हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर ऐसी आपत्तियाँ कर देते हैं जो अन्य नबियों पर भी पड़ती हैं। अतः इस बारे में भी तबलीग़ के विभाग को ऐसी आपत्तियाँ तथा उत्तर एकत्र करने चाहिएँ और उपलब्ध कराने चाहिएँ जमाअतों को। यदि अधिक से अधिक लोगों को तबलीग़ के काम में लगाना है तो यह परिश्रम सम्बंधित विभाग को करना पड़ेगा, ख़र्च भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार हिकमत का अर्थ विनम्रता एवं नरमी भी है। अतः तबलीग़ में नरमी और बुद्धि से काम लेने की अत्यधिक आवश्यकता है। क्रोध और तेज़ी में बात करने से दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा वे समझते हैं कि दलील कोई नहीं इस लिए क्रोध में जवाब दिया जा रहा है। जो क्रोध दिखाए उसके साथ नरमी से बात करनी चाहिए।

फिर हिकमत का एक अर्थ नबुव्वत भी है। अतः इसके अनुसार वार्ता करने और प्रमाण देने का अर्थ यह है कि हमें क़ुर्आन-ए-करीम जो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित हुआ, उसके प्रमाण और उसकी शिक्षा के अनुसार तबलीग़ करनी चाहिए। मैंने देखा है कि जब क़ुर्आन-ए-करीम की आयतों के प्रकाश में बात की जाए तो उन पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है।

फिर इसका एक अर्थ यह भी है कि मूर्खता से रोकना। अतः ऐसे तरीक़े से बात करनी चाहिए जो दूसरे को सरलता पूर्वक समझ में आ जाए तथा उसकी मूर्खता को दूर करने वाली हो। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यह इरशाद फ़रमाया कि लोगों की बुद्धि क्षमता और समझ के अनुसार उनसे बात किया करो। फिर इसका यह अर्थ भी है कि सत्य के अनुकूल बात करनी

चाहिए, सदैव सत्य पर आधारित एंव घटनाओं पर आधारित बात करनी चाहिए। यह नहीं कि दूसरे को प्रभावित करने के लिए सत्य एवं यथार्थ से हट कर बात की जाए। ऐसी बातें जो सत्य एवं यथार्थ के विरुद्ध हों फिर ग़लत प्रभाव डालती हैं क्यूँकि किसी न किसी समय पर सत्य प्रकट हो जाता है। इस लिए सदैव सत्य एवं यथार्थ पूर्ण बात करनी चाहिए।

फिर हिकमत, अवसर और स्थिति के अनुसार बात करने को भी कहते हैं। अर्थात यदि यह विचार हो कि एक प्रमाण से सामने वाले में क्रोध पैदा होने तथा उसके चिड़ने का भय है और फिर बजाए बात चीत के लड़ाई झगड़े तथा अन्तर बढ़ जाने का भय है तो फिर ऐसे प्रमाण से बचना चाहिए। ऐसी दलील देनी चाहिए जो उपयुक्त भी हो तथा दूसरे के स्वभाव के अनुसार भी हो तथा अन्तर बढ़ाने के बजाए निकट लाने का कारण बने।

अवसर और स्थिति के स्वभाव को समझना भी तबलीग़ के लिए अनिवार्य है तथा इसके कारण तबलीग़ में जहाँ निरन्तर स्वभाव आवश्यक है वहाँ व्यक्तिगत सम्पर्कों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत सम्बधों से ही स्वभाव का ज्ञान हो सकता है दूसरे का। अतः हमें अपनी तबलीग़ी गतिविधियों में एक निरन्तरता पैदा करने की आवश्यकता है। यह नहीं कि साल में एक या दो बार तबलीग़ी दशक मना लिया, लिट्रेचर सड़कों पर खड़े होकर बाँट दिया और समझ लिया कि तबलीग़ का काम पूरा हो गया। विश्व के जो हालात हैं उनको बताने के लिए हमें खुलकर बताना होगा कि ये हालात तुम्हारे दुनियादारी में डूबने के कारण पैदा हो रहे हैं, अल्लाह तआला की अप्रसन्नता के कारण पैदा हो रहे हैं इस लिए एक ही रास्ता है कि अल्लाह तआला की तरफ़ आओ तथा सच्चे दीन की तलाश करो। मोइज़ातुल हस्नः का, जो तबलीग़ का निर्देश है वह हिकमत से तबलीग़ के अर्थ में भी आ गया अर्थात नरमी और दिल पर प्रभाव करने वाले ढंग से तबलीग़ की जाए।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- अतः अल्लाह तआला ने हिकमत और अच्छी नसीहत और ठोस दलील के साथ जो तबलीग़ का आदेश दिया है उसके अनुसार चलना हमारा काम है, और निरन्तर उसे करते चले जाना हमारा काम है। इसके परिणाम, अल्लाह ने फ़रमाया कि मैंने पैदा करने हैं। किस ने पथभ्रष्ट होना है तथा किस ने सत्य मार्ग पाना है, ये बातें अल्लाह के संज्ञान में हैं। एक अन्य स्थान पर यह भी फ़रमाया कि तुम दबवाव डाल कर किसी को सीधा मार्ग नहीं दिखा सकते, हाँ तुम्हारा काम तबलीग़ करना है, सन्देश पहुंचाना है, हक़ का पैग़ाम दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस्लाम की विशेषताओं तथा सुन्दर शिक्षा को दूसरों पर ज़ाहिर करना है, वह किए जाओ। हम परिणाम के बारे में उत्तरदायी नहीं हैं, हमारे से यदि पूछा जाएगा तो केवल इतना कि क्या हमने पैग़ाम पहुंचाया अथवा फिर क्यूँ हमने तबलीग़ का दायित्व पूरा नहीं किया तथा क्यूँ अल्लाह तआला के निर्देशानुसार नहीं किया। किसने हिदायत पानी है और किसने हिदायत नहीं पानी, यह केवल अल्लाह तआला को पता है।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी इस आयत के स्पष्टीकरण में, जो मैंने तिलावत की थी कुछ स्थानों पर इरशाद फ़रमाए हैं। आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि ख़ुदा जानता है कि कभी हमने जवाब के समय नरमी तथा धीरज को हाथ से नहीं दिया, सिवाए उस अवस्था के कि कई बार विरोधियों की ओर से बड़े कठोर तथा फ़सादी लेख पाकर कुछ कठोरता विवेक से परिपूर्ण हमने दिखाई कि ता क़ौम इस प्रकार से अपना बदला पाकर पशुओं वाले आवेश को दबाए रखे। और यह कठोरता न किसी तामसिक वृत्ति से तथा न किसी क्रोध के कारण बल्कि केवल आयत جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ के अनुसार अमल करके एक हिकमत अमली के रूप में प्रयोग में लाई गई है और वह भी उस समय कि विरोधियों के द्वारा अपमान और अनादर तथा अपशब्द अपनी चरम सीमा तक पहुंच गए और हमारे सय्यद व मौला और सरवर-ए-कायनात फ़ख़्र-ए-मौजूदात के विषय में ऐसे गन्दे तथा असभ्य शब्द उन लोगों ने प्रयोग किए कि लगता था कि उनके कारण शांति भंग हो तो उस समय हमने इस हिकमत-ए-अमली को प्रयोग किया। एक अन्य स्थान पर आप फ़रमाते हैं कि आयत جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ का भावार्थ यह नहीं है कि हम इतनी अधिक नरमी करें कि चापलूसी करके यथार्थ के विरुद्ध बात को मान लें। क्या हम ऐसे व्यक्ति को जो ख़ुदाई का दावा करे तथा हमारे रसूल को पेशगोई के तौर पर झूठा कहे, नऊज़ु बिल्लाह और हज़रत मूसा का नाम डाकू रखे, अच्छा आदमी कह सकते हैं। क्या ऐसा करना मुजादला-ए-हस्नः है? कदापि नहीं बल्कि विरोधाभासी वृत्ति और बेईमानी का एक विभाग है।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- अतः इन बातों का भी अन्तर हमें सदैव अपने सामने रखना चाहिए। नम्रता का कदापि यह अर्थ नहीं है जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि चापलूसी करके इतना डर जाओ कि हाँ में हाँ मिलाने लग जाओ तथा सत्य के विरुद्ध जो बात है उसका सत्यापन किया जाए। हिकमत बड़ी आवश्यक है, शालीन भाषा और शिष्टाचार भी अनिवार्य हैं परन्तु अनुचित बात को अनुचित कहना भी आवश्यक है। अतः इस बात को भी सदैव याद रखना चाहिए कि हिकमत का अर्थ कायरता नहीं है अथवा अपने निकट लाने के लिए अनुचित बात का सत्यापन करना नहीं है।

हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने कुछ बातों में कुछ राजनेताओं का उदाहरण देते हुए फ़रमाया-

यदि ये लोग जो दुनियादार हैं तथा जिनका दीन भी अपनी वास्तविक अवस्था में स्थापित नहीं है अपने दुनिया के मामलों को दीन के लिए बलिदान कर रहे हैं तथा चापलूसी नहीं करते, डरपोक नहीं हैं तो फिर हमें जो अन्तिम तथा सदैव स्थापित रहने वाली शरीअत को मानने वाले हैं कितना सुदृढ़ ईमान होना चाहिए और अपने सांसारिक सम्बंधों में तथा तबलीग़ी सम्बंधों में भी हिकमत के साथ और ठोस प्रमाणों के साथ इन बातों को रद्द करना चाहिए। न ही अपने सांसारिक लाभ के लिए इन बातों से डरना चाहिए, न ही इसके लिए उनकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए कि इनसे सम्पर्क टूट जाएँगे। यदि हिकमत से बात की जाए तो कोई सम्पर्क नहीं टूटते। ओहदेदारों को विशेष रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिए। यह उनमें मैंने देखा है कई बार कायर होने का अधिक प्रभाव हो जाता है। विरोध की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, विरोध तो तबलीग़ के रास्ते खोलता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक स्थान पर फ़रमाते हैं कि जितने ज़ोर से असत्य, सत्य का विरोध करता है उतनी ही सत्य की शक्ति तेज़ होती है। फ़रमाया- ज़मीनदारों में भी यह बात विख्यात है कि जितना जेठ हाड़ तपता है उतनी ही सावन में बारिश अधिक होती है। फ़रमाया- यह एक प्राकृतिक दृश्य है, हक़ का जितनी अधिक ज़ोर से विरोध हो, वह चमकता है और अपनी शान दिखलाता है। फ़रमाया कि हमने स्वयं परीक्षण करके देखा है कि जहाँ जहाँ हमारे बारे में अधिक चर्चा हुई है वहाँ एक जमाअत तय्यार हो गई है और जहाँ लोग इस बात को सुनकर चुप हो जाते हैं वहाँ अधिक प्रगति नहीं होती।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- विरोधों अथवा दुनिया वालों से किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए परन्तु साथ ही हिकमत भी अनिवार्य है। तबलीग़ के लिए यह बात भी आवश्यक है कि इंसान की कथनी और करनी समान हो। जो कहते हैं उसके अनुसार कर्म करने वाले हों। हिकमत की बातें भी तभी मुंह से निकलती हैं तथा दूसरों को प्रभावित करती हैं जब कथनी करनी समान हो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस ओर ध्यान दिलाते हुए एक अवसर पर फ़रमाते हैं कि-

बहुत से मौलवी और उलमा कहलाकर मेम्बरों पर चढ़कर अपने आपको रसूल का नायब और नबियों के वारिस कहकर उपदेश देते फिरते हैं। कहते हैं कि अहंकार न करो, बुरे कर्मों से बचो परन्तु जो उनके अपने कर्म हैं और जो उनकी करतूतें हैं, जो वे स्वयं करते हैं उनका अनुमान इस बात से लगा लो कि उनकी बातों का तुम्हारे दिलों पर कहाँ तक प्रभाव होता है। फ़रमाया कि यदि इस प्रकार के लोग कर्मों की शक्ति भी रखते और कहने से पहले स्वयं करते तो क़ुर्आन में لِمَ تقولون ما لا تفعلون कहने की क्या आवश्यकता होती। यह आयत ही बतलाती है कि दुनिया में कहकर स्वयं न करने वाले भी मौजूद थे और हैं और होंगे। फ़रमाया- तुम मेरी बात सुन रखो और ख़ूब याद कर लो कि यदि इंसान की बात चीत सच्चे दिल ने न हो तथा कर्मों की शक्ति इसके साथ न हो तो वह प्रभाव पूर्ण नहीं होती। इसी के द्वारा तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सच्चाई प्रमाणित होती है क्यूँकि जो सफलता और दिलों पर प्रभाव उनको प्राप्त हुआ उसका कोई उदाहरण मानव समाज के इतिहास में नहीं और यह सब इस कारण से हुआ कि आपकी कथनी करनी में पूरी समानता थी।

फिर आप फ़रमाते हैं कि मोमिन को दो रंगी धारण नहीं करनी चाहिए। सदैव कथनी और करनी को ठीक रखो तथा उसमें समानता दिखलाओ जैसा कि सहाबा ने अपने जीवन में दिखलाया, तुम भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपनी सच्चाई और आज्ञापालन का नमूना दिखाओ। फिर एक स्थान पर उपदेश देते हुए आप फ़रमाते हैं कि इस्लाम की सुरक्षा और सत्य प्रकट करने के लिए सबसे पहले तो वह पहलू है कि तुम सच्चे मुसलमानों का नमूना बनकर दिखाओ और दूसरा पहलू यह है कि उसकी विशेषताएँ और कमालात दुनिया में फैलाओ।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- अतः तबलीग़ के लिए भी अपनी हालतों में पहले पवित्र बदलाव पैदा करने की आवश्यकता है। एक सच्चे मुसलमान का नमूना जब इंसान बन जाए तो फिर सवाल ही नहीं कि लोगों का ध्यानाकर्षित न हो। यह नमूना देखकर ही लोगों में ध्यान पैदा होता है और इस प्रकार यथावत तबलीग़ से पहले तबलीग़ के रास्ते खुलने शुरु हो जाते हैं। अल्लाह तआला हमें इसके अनुसार अमल करने का सामर्थ्य प्रदान करे।

TOLL FREE NO: 180030102131